शिक्षकों की नियुक्ति : किसी भी विद्यालय में पूर्ण कालिक बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों और पंचायत द्वारा नियुक्त शिक्षकों में कम से कम 3 : 2 का अनुपात होगा अर्थात् यदि विद्यालय में कुल 5 शिक्षक हैं तो कम से कम 3 पूर्ण कालिक बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त होंगे और अधिकतम 2 शिक्षक पंचायतों द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे।

सभी के लिए शिक्षा योजना : जनपद में विश्व बैंक पोषित सभी के लिए शिक्षा योजनान्तर्गत शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निम्न योजनाएं संचालित हैं -

1. ब्लाक संसाधन केन्द्र : वि०ख० रामपुर कारखाना को छोड़ शेष सभी वि०ख० मुख्यालयों पर ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है। रामपुर कारखाना में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पूर्व से ही स्थापित है जो ब्लाक संसाधन केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहा है।

2. संकुल भवन : प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर संकुल भवन का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से हो रहा है।

उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं अध्यापकों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करना है।

शिक्षामित्र योजना : प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार देने के लिये 'शिक्षामित्र' योजना प्रारम्भ की गयी है। ● प्रदेश में अपेक्षित साक्षरता दर प्राप्त करने के लिये अध्यापकों की कमी को दूर करने की दिशा में शिक्षा मित्र योजना ग्राम पंचायतों की देख-रेख में संचालित होगी। ● इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित व्यक्तियों को 2250 रु० के नियत मानदेय पर शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर रखा जायेगा। यह व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। ● संविदा पर नियुक्त ऐसे व्यक्ति को 'शिक्षा मित्र' कहा जायेगा। ● शिक्षा मित्र का चयन "ग्राम शिक्षा समिति" करेगी। ● शिक्षा मित्र की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट होगी। ● इस योजना में 50% शिक्षा मित्र महिलायें होंगी। ● इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अपेक्षित अध्यापक-छात्र अनुपात को मानक के अनुसार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शिक्षा गारण्टी योजना : ग्राम पंचायत के ऐसे क्षेत्र जहाँ विद्यालय नहीं है, वहाँ पर भी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक अभिनव योजना "शिक्षा गारन्टी योजना" के नाम से प्रारम्भ की गयी है :- ● शिक्षा गारन्टी योजना ऐसे प्रत्येक गाँव अथवा मजरे में चलायी जायेगी जहाँ एक किलोमीटर की दूरी तक कोई विद्यालय नहीं है तथा जहाँ 6 से 11 वर्ष आयु के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हों। ● इस योजना का संचालन पूर्ण रुप से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। ● ग्राम पंचायतें इस योजना के लिये स्थल चयन करेंगी। अध्यापन कार्य हेतु 1000 रु० प्रतिमाह मानदेय पर अध्यापकों को नियुक्ति करेंगी। यह व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। चयनित व्यक्ति को 'आचार्य जी' कहा जायेगा। ये शिक्षक अंशकालिक (एक शिक्षण सत्र हेतु) होंगे। ● आचार्य जी के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना में संचालित वैकल्पिक विद्यालय को 'विद्या केन्द्र' कहा जायेगा। विद्या केन्द्रों में पीने के पानी व शौचालय की व्यवस्था यथासम्भव ग्राम पंचायतें करेंगी। ● इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा पाठ्य पुस्तकें नि:शुल्क दी जायेगी तथा इन विद्यालयों के कक्षा 1 से 2 तक शिक्षा प्राप्त बच्चों को नियमित विद्यालयों की कक्षा 3 में प्रवेश अनुमन्य होगा। ❑

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर द्वारा विधिक सेवा कार्यक्रम

नि:शुल्क कानूनी सेवा एवं परामर्श प्राप्त करने की पात्रता :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ व्यक्ति, स्त्री या बालक, मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या अन्यथा असमर्थ व्यक्ति, बहु विनाश, जातीय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, संरक्षण गृह, किशोर गृह अथवा मन: चिकित्सीय अस्पताल में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति तथा एसे अन्य व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 12,000/- रुपये से कम न हो।

नि:शुल्क विधिक सहायता की प्रमुख विशेषतायें

1. पात्र व्यक्तियों को न्यायालय/अधिकरणों में वाद दायर करने अथवा प्रतिवाद करने के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा।
2. निर्धारित दर पर कोर्टफीस एवं वाद व्यय की प्रतिपूर्ति।
3. लोक अदालतों एवं शिविरों के माध्यम से सुलह समझौते द्वारा वादों का निस्तारण कराने पर पक्षकारों को कोर्ट फीस की वापसी।
4. लोक अदालत के अधिनिर्णय के विरुद्ध पक्षकारों द्वारा कोई भी अपली नहीं की जा सकेगी।
5. लोक अदालत की अधिनिर्णय दीवानी न्यायालय की डिक्री के समतुल्य है।
6. विधिक परामर्श तथा विधिक साक्षरता उपलब्ध कराना।

विशेष जानकारी एवं परामर्श हेतु आप जनपद के दीवानी न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव (न्यायिक अधिकारी) से सम्पर्क करें।